विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भाग क : राजस्व प्रक्षेत्र

इस भाग में ''माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी'' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित नौ कंडिकाएँ शामिल हैं। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

1. सामान्य

वर्ष 2021–22 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,58,797.33 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व ₹ 38,838.88 करोड़ (24.46 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 1,19,958.45 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 75.54 प्रतिशत) था, जिसमें विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 91,352.62 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 57.53 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 28,605.83 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 18.01 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2022 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर राजस्व के बकाये ₹ 4,022.59 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 1,300.42 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(कंडिका 1.2)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2010–11 से 2019–20 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 43 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य–कर विभाग, मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 36 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ की, हालाँकि लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर इन विभागों से कृत कार्रवाई संबंधित टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (अप्रैल 2023)।

(कंडिका 1.3)

मार्च 2022 तक 2,980 निरीक्षण प्रतिवेदन (25,166 लेखापरीक्षा अवलोकन) जिनमें ₹ 55,840.32 करोड़ का संभावित राजस्व सन्निहित था, लंबित थे, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रहण ₹ 38,838.88 करोड़ है। 2007–08 से निर्गत किये गये ₹ 20,097.69 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,271 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,838 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम जवाब प्राप्त नहीं हुए (जून 2022)।

(कंडिका 1.4)

लेखापरीक्षा ने 1,059 मामलों में कुल ₹ 25,001.46 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 336 मामलों में ₹ 28.80 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के मध्य) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 74 मामलों में कुल ₹ 3.16 करोड़ की वसूली विभागों द्वारा (अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के मध्य) प्रतिवेदित की गई।

(कंडिका 1.5)

2. वाणिज्य–कर

12 अंचलों में, 26 करदाताओं ने माल एवं सेवा कर रिटर्न (जीएसटीआर–3बी) के माध्यम से ₹ 761.76 करोड का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था, जबकि वर्ष 2017–18 के लिए उनके जीएसटीआर–2ए में केवल ₹ 720.03 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(I))

11 अंचलों के, 22 करदाताओं ने वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 7.28 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(II))

पाँच अंचलों के सात करदाताओं ने वर्ष 2017–18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता के निर्वहन/भुगतान के उठाया।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(III))

चार अंचलों के पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ में ₹ 6 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर–9) में दावा किया गया था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(IV))

13 अंचलों के, 26 मामलों में वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 1,647.19 करोड़ के असमाशोधित आवर्त्त को जीएसटीआर–9सी की तालिका–5आर में घोषित किया गया था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(V))

15 अंचलों के, 26 मामलों में जीएसटीआर–9सी की तालिका–7जी में घोषित ₹ 294.73 करोड़ का असमाशोधित कर योग्य आवर्त्त।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(VI))

13 अंचलों के, 19 मामलों में जीएसटीआर–9सी की तालिका–9आर में ₹ 8.90 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(VII))

नौ अंचलों में 14 करदाताओं ने वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 2.43 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(VIII))

वर्ष 2017–18 के लिए 11 अंचलों के, 14 मामलों में ₹ 101.77 करोड़ की कर देयता का अंतर।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(X))

11 अंचलों के, 12 करदाताओं ने जीएसटीआर –1 दाखिल किया था एवं जीएसटीआर–3बी रिटर्न दाखिल किए बिना वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता घोषित की थी।

(कंडिका 2.3.7.3 (क)(XI))

16 अंचलों के, 22 मामलों (नौ जाँचित मामले सहित) में करदाताओं ने 1 से 1,060 दिनों की विलम्ब से अपना रिटर्न दाखिल किया, लेकिन ब्याज के ₹ 2.62 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(I)(अ))

23 अंचलों के, 44 विभिन्न करदाताओं से प्राप्त इनपुट आपूर्ति पर ₹ 60.58 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(अ))

तीन अंचलों के चार मामलों में, वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटीआर–9सी की तालिका–12एफ में ₹ 11.04 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(ब))

आठ अंचलों के आठ मामलों (बिना जाँच किए गए) में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 0.54 करोड़ का अंतर था जैसा कि जीएसटीआर–9 रिटर्न के तालिका–6जे में दर्शाया गया है।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(स))

2017–18 की अवधि के लिए पटना उत्तरी और पटना विशेष अंचलों के तीन करदाताओं ने ₹ 2.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत केवल ₹ 0.04 करोड़ के कर का भुगतान किया।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(II)(द))

16 अंचलों के, 19 करदाताओं (तीन जाँचित/मूल्यांकित मामलों सहित) ₹ 7.22 करोड़ के कर का कम भुगतान।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(III)(ब))

सासाराम और शाहाबाद अंचलों के दो करदाताओं ने 2017–18 की अवधि के लिए ₹ 2.58 करोड़ के 'व्यावसायिक संपत्तियों के हस्तांतरण और स्क्रैप बिक्री' की कर योग्य आपूर्ति की थी।

(कंडिका 2.3.7.4 (क)(III)(स))

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से टीडीएस की कटौती न करने के कारण कर देयता की कम स्वीकृति का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण ₹ 1.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.4.1)

3. वाहनों पर कर

संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2017 और मार्च 2022 के बीच 20,189 वाहनों के फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण सुनिश्चित नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (जाँच शुल्कः ₹ 86.94 लाख एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र नवीनीकरण शुल्कः ₹ 40.38 लाख) की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.3)

अर्थदंड की गणना/आरोपण, 581 दोषी वाहनों के संबंध में एकमुश्त कर के विलंब से भुगतान के लिए न ही *वाहन* सॉफ्टवेयर द्वारा और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदंड का आरोपण/वसूली नहीं किया गया।

(कंडिका 3.4)

चूककर्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बाबजूद, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्ता सूची तैयार करने के लिए *वाहन* के कर तालिका की निगरानी या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं को कोई माँग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 22.16 करोड़ कर और अर्थदंड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.5)

4. राजस्व एवं भूमि सुधार

₹ 5,00,000 का एकमुश्त भुगतान का संवितरण न होने के कारण 41 प्रभावित परिवार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पात्रता और ₹ 2.59 करोड़ के उद्ग्रहणीय ब्याज से वंचित हो गये।

(कंडिका 4.3)

त्रुटिपूर्ण गणना के तरीके अपनाने के फलस्वरूप ₹ 6.40 करोड़ तोषण और उद्ग्रहणीय ब्याज का कम आरोपण हुआ जिसके कारण भू–स्वामियों को कम भुगतान हुआ।

(कंडिका 4.4)

गलत गणना किए जाने के कारण भू–स्वामियों को ₹ 16.73 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे और उदग्रहणीय ब्याज का कम भुगतान किया जाना।

(कंडिका 4.5)

5. मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस

पाँच निबंधन प्राधिकारी, अक्टूबर 2020 से जून 2022 के दौरान निष्पादित आठ दस्तावेजों में भूमि के अल्प मूल्यांकन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.3)

भाग खः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

इस भाग में ''बिहार सरकार के उद्योग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना प्रावैधिकी तथा जल संसाधन विभागों के अन्तर्गत अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा0क्षे0उ0) में परिसम्पत्तियों का भौतिक अस्तित्व एवं सुरक्षा'' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित, छः कंडिकाएँ शामिल हैं। इस भाग के कुछ प्रमुख परिणामों का सारांश नीचे दिया गया हैः

6. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

31 मार्च 2022 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 77 राज्य सरकार के सा0क्षे0उ0 थे। इनमें 70 सरकारी कम्पनियाँ, चार सरकार

नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम शामिल थे। यह अध्याय 15 सरकारी कम्पनियों एवं एक सांविधिक निगम से सम्बन्धित है। 61 सा0क्षे0उ0 (चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगम सहित), जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाये में थे अथवा निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे अथवा प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।

(कंडिका 6.1 एवं 6.2.3)

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में शामिल सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश (अंश पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 52,689.67 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 76.41 प्रतिशत (₹ 40,260.17 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण 23.59 प्रतिशत (₹ 12,429.50 करोड़) सम्मिलित थे। अंश पूँजी में राज्य सरकार की धारिता ₹ 39,686.75 करोड़ थी।

पिछले वर्ष की तुलना में, सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता में ₹ 32.24 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई जबकि बकाया ऋण 2021–22 के दौरान समान रहे।

(कंडिका 6.3 एवं 6.4)

इस अध्याय में शामिल 16 सा0क्षे0उ0 में से, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या सात थी। अर्जित लाभ वर्ष 2020–21 के ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया था। इन सात सा0क्षे0उ0 का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था।

इस अध्याय में शामिल 16 सा0क्षे0उ0 में से, 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या पाँच थी। इन हानि वहन करने वाले सा0क्षे0उ0 की संचित हानियाँ एवं निवल मूल्य, क्रमशः ₹ 21,041.52 करोड़ एवं ₹ 8,783.09 करोड़ थे।

(कंडिका 6.5 एवं 6.6)

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 77 सा0क्षे0उ0 (तीन सांविधिक निगमों सहित) में से, केवल एक सा0क्षे0उ0 से वर्ष 2021–22 के वित्तीय विवरण 31 जुलाई 2022 तक या इससे पूर्व प्राप्त किए गए थे तथा सी0ए0जी0 द्वारा संवीक्षा की गई थी।

(कंडिका 6.9.2)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात्, सी0ए0जी0 द्वारा राज्य सरकार की कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान, सी0ए0जी0 द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत 18[1] लेखाओं (13 गैर ऊर्जा एवं पाँच ऊर्जा) पर अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) तथा 14 लेखाओं (12 गैर ऊर्जा एवं दो ऊर्जा) पर टिप्पणियाँ निर्गत की गयी।

(कंडिका 6.10.1)

महत्वपूर्ण टिप्पणियों (इस अध्याय में शामिल तीन सा0क्षे0उ0 के चार वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान निर्गत) का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर, क्रमशः ₹ 31.23 करोड़ एवं ₹ 270.69 करोड़ था।

(कंडिका 6.10.2)

[1] इन आँकड़ों में वे लेखे भी शामिल हैं जो कि अक्टूबर 2021 से पूर्व प्राप्त हुए एवं उनकी लेखापरीक्षा की गई तथा लेखाओं पर प्रतिवेदन अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के मध्य निर्गत किये गये।

7. विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का निपटान नहीं किया गया था तथा न्यूनतम/पर्याप्त मानवशक्ति एवं उचित कार्यालय प्रतिष्ठान के अभाव में, मूलभूत अभिलेखों एवं लेखापुस्तकों, का रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। 22 में से, 15 सा0क्षे0उ0 के पास मानवशक्ति नहीं थी, जिसके कारण उनके मूलभूत अभिलेखों तथा लेखापुस्तकों को, वैधानिक दायित्वों के अनुपालन के लिए रख–रखाव एवं सुरक्षित नहीं किया जा रहा था। शेष सात सा0क्षे0उ0 में भी न्यूनतम कर्मचारी थे।

(कंडिका 7.6.1)

सभी 22 नमूना चयनित अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के लेखे बकाया थे, ये बकाया सात वर्ष से लेकर 45 वर्षों तक थे। अंतिमीकृत लेखाओं के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या इन सा0क्षे0उ0 में किए गए निवेश (₹ 420.87 करोड़) को उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया था तथा क्या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का उपयोग वांछित उद्देश्यों के लिए किया गया था/किया जा रहा था।

(कंडिका 7.6.2)

22 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 17 के पास वेतन/पेंशन एवं अन्य संबंधित वैधानिक दायित्वों (ई0पी0एफ0 आदि) के मद में ₹ 399.08 करोड़ की देनदारियाँ थी। बिहार सरकार ने इन देनदारियों के निष्पादन के लिए, पाँच सा0क्षे0उ0 को ₹ 127.77 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी, जिसमें से संबंधित कर्मचारियों को ₹ 92.85 करोड़ का भुगतान (अगस्त 2022 तक) किया गया था, जबकि बाकी कर्मचारियों को शेष राशि का भुगतान, प्रक्रियाधीन था।

(कंडिका 7.6.3)

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बी0एस0आई0डी0सी0एल0) के पास 322.80 एकड़ भूमि थी, जिसका मूल्य ₹ 1,278.95 करोड़ था तथा प्लांट एवं मशीनरी थी, जिसका मूल्य ₹ 4.12 करोड़ था। हालाँकि, इसकी एक सहायक कम्पनी अर्थात् बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड एवं तीन उत्पादन इकाइयों की भूमि के मूल अभिलेख, कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं पाए गए।

(कंडिका 7.6.5)

बी0एस0आई0डी0सी0एल0 की ₹ 1,278.95 करोड़ के मूल्य की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को बिहार तथा झारखण्ड के मध्य विभाजित किया जाना था। हालाँकि, इन परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को अभी तक दोनों राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया गया था तथा इस प्रकार, बी0एस0आई0डी0सी0एल0 के समापन की प्रक्रिया लंबित थी (अगस्त 2022)।

(कंडिका 7.7.1)

8. अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अवलोकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में गंभीर वित्तीय निहितार्थों वाली कमियों को उजागर करती है।

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 'पटना में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन' का विश्लेषण किया गया है। अवलोकन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

अक्टूबर 2022 तक, 44 स्वीकृत परियोजनाओं में से, 29 परियोजनाएँ अन्य एजेंसी द्वारा पूर्व से परियोजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि की अनुपलब्धता, छत पर खेती की गैर–आवश्यकता, भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं द्वारा भारी भीड़ को आकर्षित करने की संभावना इत्यादि कारणों से, अव्यवहारिक पाए जाने के कारण, प्रारम्भ नहीं की जा सकी। अतः, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एस0सी0पी0) की योजना उचित रूप से नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण अंततः परियोजनाओं को वापस लिया/समाहित किया गया एवं उत्तरवर्ती विलम्ब हुआ।

(कंडिका 8.1.7.1)

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी0एस0सी0एल0) की त्रुटिपूर्ण योजना के कारण, 19 जन सेवा केन्द्रों के निर्माण पर ₹ 7.10 करोड़ का व्यय करने के बाद भी, जन सेवा केन्द्रों के निर्माण का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

(कंडिका 8.1.8.1)

कार्यक्षेत्र को अंतिम रूप दिए बिना, मोबिलाइजेशन अग्रिम (एम0ए0) जारी करने से, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केन्द्र प्रारम्भ नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.55 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि के साथ, ₹ 11.19 करोड़ का एम0ए0, 26 महीनों के लिए अवरूद्ध हो गया।

(कंडिका 8.1.8.2)

कार्यक्षेत्र के अनुसार, छत पर ग्रिड से जुड़े सभी ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ा जाना था तथा नेट मीटरिंग किया जाना था। हालाँकि, अधिष्ठापित संयंत्र ग्रिड से नहीं जुड़े थे तथा इसलिए नेट मीटर भी अधिष्ठापित नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति हुई।

(कंडिका 8.1.8.3)

पी0एस0सी0एल0 ने अगस्त 2022 तक, ₹ 455.88 करोड़ की उपलब्ध निधि के विरूद्ध, केवल ₹ 132.51 करोड़ (29 प्रतिशत) व्यय किया था। एस0सी0पी0 में बार–बार होने वाले परिवर्तन; कार्यों के आवंटन पश्चात् तथा क्रियान्वयन के दौरान, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन; भूमि की उपलब्धता के बिना कार्य का आवंटन एवं संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में पी0एस0सी0एल0 की विफलता, कमजोर वित्तीय प्रगति के कारण थे।

(कंडिका 8.1.9)

मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार/आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के बिना किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.36 करोड़ की मिशन निधि का मधुबनी चित्रकारी से संबंधित कार्य पर विचलन के साथ, अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 8.1.9.2)

बिजली का पूर्वानुमान लगाने एवं केन्द्रिय विद्युत विनियामक आयोग (सी0ई0आर0सी0) विनियमन 2014, के अनुसार बिजली के आहरण को सीमित करने में विफलता के कारण वितरण कम्पनियों (साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड) ने विचलन के लिए, ₹ 181.13 करोड़ के अतिरिक्त शुल्क का वहन किया।

(कंडिका 8.2)

पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ₹ 97.54 करोड़ के अनुदान की हानि हुई।

(कंडिका 8.3)

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा के अनियमित रूप से अंतिमीकरण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.81 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 8.4)